न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/33/2024	2024/84	09-10-2024	14-11-2024

1. विजेन्द्र पुत्र किशोर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम लिडपुरी तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट

बनाम

2. उप-तहसीलदार भनोखर, उप तहसील भनोखर तह0 कठूमर जिला अलवर राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध उपतहसीलदार भनोखर तह0 कठूमर दिनांक 19.07.2024 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 11/2023

उपस्थितः—

01—श्री गोविन्दराम यादव —वकील अपीलाण्ट

02—राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेण्ट

—:निर्णय :—

अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत उपतहसीलदार भनोखर तह0 कठूमर जिला अलवर के आदेश दिनांक 19.07.2024 प्रकरण संख्या 11/2023 जिसके द्वारा अपीलान्ट को आराजी मुतनाजा से बेदखल कर पेनल्टी कायम करने का आदेश दिया गया, से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी ग्राम लिडपुरी तहसील कठूमर का निवासी है। जिसके विरूद्ध हाल आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 0.75 है० किस्म चारागाह में से 0.08 है० भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का रोनीजाथान द्वारा पेश की गई। जिस पर उप तहसीलदार भनोखर द्वारा अपीलार्थी को धारा 91 भू० राजस्व अधिनियम का नोटिस दिया गया। जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा पूर्ण तथ्यों के साथ पेश किया गया। जिसके बावजूद भी उप तहसीलदार भनोखर द्वारा गलत तोर पर अपीलार्थी को अतिकमी मानते हुऐ दिनांक 19.07.2024 को बेदखली के आदेश पारित कर दिया गया तथा दण्ड स्वरूप लगान 0.16 का 50 गुणा 8/—रू पेनल्टी आरोपित की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.07.2024 को पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 14.08.2024 को प्राप्त हुई। जिस पर अपीलार्थी द्वारा नकल आदेश प्राप्त कर अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें हुई देरी के लिऐ पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। निर्णय दिनांक 19.07.2024 न्यायालय उप तहसीलदार महोदय, भनोखर जिला अलवर द्वारा पारित किया गया है। जो कि न्यायालय श्रीमान के अधिनस्थ न्यायालय है। इस कारण उक्त अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.07.2024 महज कयासिया आधार पर तथ्यों की अनदेखी करते हुऐ कानून विरूद्ध व मनमाने आधार पर पारित किया है, निरस्त किये जाने योग्य है। मातहत अदालत द्वारा निर्णय दिनांक 19.07.2024 केवल पटवारी हल्का रोनीजाथान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व तथ्यों को मातहत अदालत नही

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पढा गया, ना कोई गौर किया, ना ही अपने निर्णय में लिखा गया तथा मातहत अदालत द्वारा दिया गया निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। हाल आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 0.75 है० का सम्वत 2046 से पूर्व खसरा नम्बर 179 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा था। जिस भूमि की किस्म चाही थी। उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता व ताऊ रामसिंह, किशोर पुत्रान कन्हैया जाट के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जिस भूमि पर अपीलार्थी के दादा कन्हैया लाल का अन्तिम संस्कार भी किया गया। जिनकी छतरी भी उक्त भूमि पर बनी हुई है। अपीलार्थी द्वारा इस बाबत एक वाद बाबत इस्तकरारहक वो इन्द्राज दुरूस्ती बउनवानी धर्मसिंह वगैरा बनाम राजस्थान राज्य वगैरा मु०नं० 1/165/2015 पेश किया हुआ है। जो मुकदमा न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कठूमर में विचाराधीन है। वादी के उक्त तथ्यों के पुष्टि जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के समक्ष विचाराधीन वाद की प्रतिलिपि से होती है। अपीलार्थी बुर्जगान के समय से उक्त भूमि पर काबिज होकर उसे अपने उपयोग–उपभोग में लेता चला आ रहा है। उक्त भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बेजा तोर पर चारागाह दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि कभी भी चारागाह के उपयोग में नहीं ली गई बल्कि हमेशा से अपीलार्थी व उसका परिवार उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। राजस्व विभाग के कर्मचारीयान द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किये गये गलत इन्द्राज के कारण उप तहसीलदार भनोखर द्वारा पारित उक्त आदेश में यदि अपीलार्थी व उसके परिवार को बेदखल किया जाता है तो अपीलार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति कारित होगी। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय उप तहसीलदार ~~भनोखर उप~~ तहसील भनोखर तहसील कठूमर जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19. 07.2024 ~~बउनवानी~~ प्रकरण सरकार बनाम विजेन्द्र प्रकरण संख्या 11/2023 को निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनाक 19.07.2024 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा में दिनाक 03.09.2024 को पेश की गयी है जो करीब 46 दिन विलम्ब से पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तों में मियाद के बिन्दू पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रुख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का रोनीजाथान की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 193 रकबा 0.75 है0 किस्म चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी रोनीजाथान अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 193 रकबा 0.75 है0 में से 0.08 है0 किस्म चारागाह भूमि पर जोत लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है जो कि अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार भनोखर, जिला अलवर का आदेश दिनांक 19.07.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)